प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 568 दिनांकः 18 दिसम्बर,2019

विषयः **<u>वर्ष 2020 की हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की लिखित परीक्षा हेतु अध्यापकों / प्रधानाचार्यों का शैक्षिक विवरण शुद्ध रूप से वेबसाइट पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय / महोदया,

आप अवगत ही हैं कि वर्ष 2020 की इण्टरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा एवं हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट की लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को स्वयं के एवं विद्यालय में पढ़ाने पर अध्यापक / अध्यापिकाओं के विवरण यथा (1) शैक्षिक योग्यता, (2) जन्मतिथि, (3) विद्यालय में नियुक्त होने की तिथि एवं (4) अध्यापन अनुभव को सही–सही परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है क्योंकि गलत विवरणों को अपलोड कर दिये जाने की स्थिति में अध्यापक / अध्यापिकाओं के गलत विषय में परीक्षक नियुक्त हो जाने की सम्भावना बनी रहती है और इससे परिषद की छवि भी धूमिल होती है।

सर्वप्रथम वर्ष 2020 की इण्टरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा के सम्पादनार्थ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा वेबसाइट पर अध्यापक / अध्यापिकाओं का जो विवरण अपलोड कराया गया है उनमें निम्नांकित त्रुटियाँ परिषद के संज्ञान में आई जिसके फलस्वरूप इण्टरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा के सम्पादनार्थ परीक्षक नियुक्त करने में कठिनाई उत्पन्न हुई :–

1– जो विद्यालय केवल हाईस्कूल स्तर तक मान्यता प्राप्त है उनमें कतिपय विद्यालय में इण्टरमीडिएट स्तर पर अध्यापन कार्य होना दर्शाया गया है जो मान्य नही है।

2– कतिपय प्रधानाचार्यों द्वारा स्वयं के मात्र स्नातकोत्तर परीक्षा का विषय वेबसाइट पर दर्शाया गया है, किन्तु स्नातक स्तर पर किन विषयों से परीक्षा उत्तीर्ण की गई है इसका उल्लेख नही किया गया है।

3– कतिपय अवकाश प्राप्त अध्यापक / अध्यापिकाओं की जन्मतिथि का उल्लेख वेबसाइट पर नही है जिसके कारण 70 वर्ष से अधिक आयु वाले अध्यापक / अध्यापिका का नियमों के विपरीत लिखित अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा के सम्पादनार्थ परीक्षक बनने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति परीक्षक नियुक्त नही किये जायेगें।

4– कतिपय अध्यापक / अध्यापिकाओं को हाईस्कूल स्तर पर विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त दर्शाया गया है किन्तु उनके प्रशिक्षित स्नाक होने की स्थिति वेबसाइट पर स्पष्ट नही हैं।

२

5- कतिपय अध्यापक/अध्यापिकाओं को इण्टरमीडिएट स्तर पर अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त दर्शाया गया है किन्तु स्नातकोत्तर परीक्षा किस विषय से उत्तीर्ण की गई इसका कोई उल्लेख नही है।

6- कतिपय प्रधानाचार्यो द्वारा अपने विद्यालय में उन विषयों में अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति कर अध्यापक कार्य होना दर्शाया गया है जिन विषयों में उन्हें परिषद द्वारा मान्यता प्रदान नही की गई है।

7- शैक्षिक योग्यता में एम0एस0सी0 दर्शाया गया है किन्तु विषय एम0ए0/एम0काम0 के अंकित हैं। इसी प्रकार से एम0ए0/एम0काम0 को दर्शाया गया है किन्तु विषय एम0एस0सी0 के अंकित हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य विसंगतियों जो परिलक्षित हो रही हैं उनको भी दूर किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए परिषद की वेबसाइट अद्यतन क्रियाशील है।

कृपया अपने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को यह स्पष्ट निर्देश प्रदान कर दें कि वह पुनः वेबसाइट पर अपने विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक/अध्यापकों के आनलाइन अपलोड कराये गये समस्त विवरणों की पुनः भली-भाँति जांच कर लें और उनमें कोई विसंगति परिलक्षित हो रही हो तो उनका सुधार आनलाइन रीति से प्रत्येक दशा में दिनांकः 31 जनवरी,2020 तक अवश्य करा लें। साथ ही यदि किसी अवकाश प्राप्त अध्यापक/अध्यापिका की जन्मतिथि अंकित नही हैं तो यह सुनिश्चित करा लें कि उनकी जन्मतिथि भी वेबसाइट पर अपलोड करा दी गयी है। यदि फिर भी कोई अनर्ह अध्यापक/अध्यापिका वर्ष 2020 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट की लिखित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तक के मूल्यांकन कार्य हेतु नियुक्त हो जाते/जातीं हैं तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का ही होगा जिसके लिए उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव। 18.12.19

दिनांकः 18 दिसम्बर,2019

पृष्ठाकन संख्याः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/560 -1

उक्त पत्र की प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय सचिवों को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह अपने स्तर से भी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश प्रदान करते हुए इसका सतत् अनुश्रवण करते रहें।

18.12

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव। 18.12.19

Jha Jee-All dios Letter-12-12-19

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 619 दिनांकः 10 **जनवरी 2020**

विषयः **वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य हेतु अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्यो/ अध्यापकों/अध्यापिकाओं का पूल तैयार करने हेतु।**

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि शासन वर्ष 2020 की परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य को शुचितापूर्ण ढंग से समयबद्ध रूप से सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में कराने हेतु कृत संकल्प है।

दिनांकः 27–12–2019 को शासन द्वारा आहूत वीडियो कान्फ्रेसिंग जिसमें आप भी उपस्थित थे में यह निर्देश दिये गये हैं कि अपरिहार्य कारणोंवश मूल्यांकन कार्य में व्यवधान उत्पन्न न होने पाये इसके लिए प्रत्येक जनपद में अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्यो/अध्यापकों/अध्यापिकाओं का पूल तैयार करा लिया जाय।

शासन द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों के क्रम में आप अपने जनपद के सभी दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रसारित करा दें कि ऐसे सभी अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य/अध्यापक/अध्यापिकायें जिन्होंने अद्यतन अपना शैक्षिक विवरण अपने विद्यालय जिससे उन्होनें अवकाश ग्रहण किया है में अपलोड नही कराया है तो वह सम्बन्धित विद्यालय में जाकर प्रत्येक दशा में दिनांकः 31–01–2020 तक उसे परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड करा लें। यदि अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य/अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा अपने शैक्षिक विवरण पूर्व में विद्यालय में जाकर वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है और उनमें कोई विसंगति है तो अपने शैक्षिक विवरणों को ठीक करा लें ताकि आवश्यकतानुसार मूल्यांकन कार्य हेतु उन्हें अर्ह विषय में परीक्षक नियुक्त किया जा सके। प्रसारित विज्ञप्ति की प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 619–4 दिनांकः 10 **जनवरी 2020**

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

3– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि निर्धारित तिथि तक अपने स्तर से भी उक्त कार्य का सतत् अनुश्रवण कराया जाना सुनिश्चित करायें।

4– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।

10.1.2020

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA